मुख्यमंत्री ने वर्षा पीड़ित जयपुर शहर की स्थिति का निरीक्षण किया

उन्होंने सांगानेर थाने से मालपुरा गेट तक बनने वाली एलीवेटेड रोड की प्रगति जानी

■ मुख्यमंत्री भजनलाल ने बी-टू बाईपास, सांगानेर, सुमेर नगर, सूरजमल सर्किल, मुहाना मंडी, चौरडिया पैट्रोल पंप आदि स्थानों पर रूक कर जल भराव, क्षतिग्रस्त सड़कों, गड्ढों व ड्रेनेज सिस्टम की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार शाम को जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों का सघन निरीक्षण किया और बारिश से उत्पन्न स्थितियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आमजन से भी फीडबैक लिया।

जयपुर, 30 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार शाम को जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों का लगभग ढाई घण्टे सघन निरीक्षण कर बारिश से उत्पन्न स्थितियों का जायजा लिया। उन्होंने बी-टू बाईपास रोड, सांगानेर, सुमेर नगर, सूरजमल सर्किल, मुहाना मंडी, चौरडिया पेट्रोल पंप पर रुककर जलभराव, क्षतिग्रस्त सड़कों, गड्ढ़ों एवं ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

शर्मा ने बी-टू बाईपास रोड के पास द्रव्यवती नदी का अवलोकन किया और घने वृक्षों की छंटाई तथा नालों के फेरो कवर की मरम्मत करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने कच्ची बस्ती के लोगों एवं बच्चों से बातचीत की और अधिकारियों को निचले क्षेत्रों में जल निकासी तथा आपात स्थिति में वहां के निवासियों के लिए भोजन व पेयजल की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री ने सांगानेर स्थित कैम्प कार्यालय में लोगों से मुलाकात की और शहर के जलभराव वाले स्थानों के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मुहाना मंडी चौराहे पर पहुंचकर जायजा लिया और अधिकारियों को चौराहे पर सर्कल निर्माण के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने महाराजा सूरजमल सर्किल व केसर नगर चौराहे पर क्षतिग्रस्त सड़कों के शीघ्र मरम्मत कार्यों के निर्देश दिए।

शर्मा ने निरीक्षण के दौरान सांगानेर क्षेत्र के विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने चौरडिया पेट्रोल पंप तिराहे पर रुककर सांगानेर थाने से चौरडिया पेट्रोल पंप और मालपुरा गेट तक बनने वाली एलिवेटेड रोड की प्रगति की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आमजन से भी फीडबैक लिया। साथ ही, उन्होंने चाय की दुकान पर रुककर चाय भी पी।

इस दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर नगर निगम ग्रेटर सहित, ऊर्जा, सार्वजनिक निर्माण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

ऑपरेशन सिंदूर केन्द्र सरकार की इच्छाशक्ति को दर्शाता है- नड्डा

नयी दिल्ली, 30 जुलाई। राज्य सभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि देश में 2014 के पहले कई आतंकवादी हमले हुए, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गये, लेकिन 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद, जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष देश में आतंकवादी घटनाओं पर रोक लग गयी।

उन्होंने कहा कि देश में फौज और पुलिस तो वही होती है लेकिन सरकार के काम करने का तरीका उसकी राजनीतिक इच्छाशक्ति से परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि 2016 में उरी में जैश-ए-

■ राज्यसभा में सदन के नेता जे पी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में आतंकवादी घटनाओं पर रोक लग गई।

मोहम्मद ने आतंकवादी हमला किया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कोझिकोड में कहा था कि उरी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जायेगा। इसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक से उस हमले का जवाब दिया गया, जिसे सारी दुनिया ने देखा। केन्द्रीय मंत्री ने पहलगाम आतंकवादी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी ने बिहार के मधुबनी में एक जनसभा में कहा था कि पाकिस्तान ने बड़ी गलती कर दी है और उसे कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इसी के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया।

किसी भी दुर्घटना में जनहानि की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जायेगी- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि एक विशेष कमेटी गत 6 वर्ष में बने भवनों की गुणवत्ता जाँचेंगी

जयपुर, 30 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सभी विभाग क्षतिग्रस्त, जीर्ण-क्षीर्ण भवनों की तुरंत मरम्मत कराएं, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि अब ऐसी किसी भी दुर्घटना में हुई जनहानि पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गत 6 वर्षों में बने सरकारी भवनों, स्कूलों, आंगनबाड़ियों की सूची बनाएं तथा एक विशेष राज्य स्तरीय कमेटी बनाकर निर्माण गुणवत्ता की जांच की जाए।

शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में अधिकारियों को जर्जर भवनों के संबंध में विशेष दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत के लिए आपदा प्रबंधन मद से स्वीकृति प्राप्त की जाए तथा समय पर

■ अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि प्रदेश के आंगनबाडी केन्द्रों की मरम्मत और रख रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा उनका अनिवार्य निरीक्षण किया जाये।

प्रस्ताव तैयार करके कार्य प्रारंभ किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए भवनों के निरीक्षण, मरम्मत और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कार्मिक भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जर्जर भवनों की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देना सुनिश्चत करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा इनका अनिवार्य निरीक्षण किया जाए। बैठक में बताया गया कि जीर्ण-क्षीर्ण एवं क्षतिग्रस्त आंगनबाड़ियों को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। शर्मा ने सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी सरकारी कार्यालयों, विशेष रूप से स्कूलों, अस्पतालों सहित अन्य सार्वजनिक भवनों का तत्काल निरीक्षण कर पूरी जानकारी के साथ जिलेवार रिपोर्ट बनाएं तथा मरम्मत कार्य करवाए जाएं।

बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

अन्नपूर्णा रसोई का अनुबंध निरस्त ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में अनुबंध के तहत इंदिरा रसोई संख्या 329, नगर, डीग को संचालित करने का काम दिया गया। रसोई संचालन का यह काम उसे तीन साल के लिए दिया था। यह अवधि पूरी होने के बाद याचिकाकर्ता का अनुबंध- नवीनीकरण करते हुए उसे 20 अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया गया। इसी बीच उसे बिना कोई नोटिस और सुनवाई का मौका दिए, 16 जून 2025 को उसका अनुबंध बिना किसी कारण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि राज्य सरकार ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए उसका अनुबंध निरस्त किया है। ऐसे में राज्य सरकार के इस आदेश को रद्द किया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अनुबंध निरस्त करने के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

अमेरिका ने बुधवार को भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया

ट्रंप ने रुस से सैन्य उपकरण व तेल खरीदने के कारण भारत पर जुर्माना लगाने की भी बात कही

वॉशिंगटन, 30 जुलाई। लंबे समय से जारी अनिश्चितता पर विराम लगाते हुये, अमेरिका ने बुधवार को भारत पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की घोषणा कर दी और रूस से सैन्य उपकरण तथा तेल खरीदने पर जुर्माना लगाने की बात भी कही।

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि भारतीय उत्पादों पर पहली अगस्त से 25 प्रतिशत आयात शुल्क लागू हो जायेगा। उन्होंने भारत को "मित्र" बताते हुये कहा कि पिछले कुछ वर्षों में तुलनात्मक रूप से दोनों देशों के बीच कारोबार कम रहा है। इसका कारण भारत का उच्च आयात शुल्क है, जो दुनिया में सर्वाधिक आयात शुल्क लगाने वाले देशों में शामिल है। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे देश के मुकाबले भारत में गैर-मौद्रिक बाधायें भी सबसे ज्यादा हैं।

उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि भारत भारी मात्रा में रूस से सैन्य उपकरण खरीदता है। ऐसे समय में, जब सभी चाहते हैं कि रूस "यूक्रेन में हत्याएँ" रोक दे, भारत चीन के साथ रूस का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीददार है। उन्होंने लिखा कि उसका रूस से ऐसा व्यापार करना गलत है और घोषणा की कि पहली अगस्त से भारत 25 फीसदी आयात शुल्क भरेगा। साथ ही रूस के साथ व्यापार करने की एवज में जुर्माना भी भरेगा। अमेरिका ने

■ ट्रंप ने कहा कि भारत -अमेरिका में कारोबार कम होने का कारण भारत का उच्च आयात शुल्क है।

इस साल अप्रैल में भारत पर 26 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की घोषणा की थी। हालाँकि बाद में भारत समेत सभी देशों के लिए आयात शुल्क के क्रियान्वयन को टाल दिया गया था। भारत के लिए इसे पहले इसकी तारीख नौ जुलाई तय की गयी थी। इस बीच दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत के कारण आयात शुल्क की घोषणा टलती रही। इसके बाद अमेरिका ने जब जापान और यूरोपीय संघ के साथ समझौते के तहत उन पर 15 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की घोषणा की तो उम्मीद की जा रही थी कि भारत के लिए भी करीब 15 प्रतिशत की दर ही होगी।

भारत पर आयात शुल्क और जुर्माने की घोषणा से पाँच मिनट पहले उन्होंने लिखा था, "पहली अगस्त की समय सीमा मतलब पहली अगस्त की समय सीमा - यह सख्त है और इसे बढ़ाया नहीं जायेगा। अमेरिका के लिए बड़ा दिन।" उन्होंने लिखा कि पहली अगस्त अमेरिका के लिए बड़ा दिन होगा।

रुस में 8.8 की तीव्रता का भूकंप, कई इमारतों को नुकसान

टोक्यो , 30 जुलाई। रूस के पूर्वी प्रायद्वीप कामचटका में दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप आया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (यूएसजीएस) के मुताबिक, भूकंप की तीव्रता 8.8 थी। यह भारतीय समयानुसार बुधवार सुबह 4:54 बजे आया।

जानकारी के अनुसार, कामचटका में 5 मीटर तक ऊंची सुनामी आई है। इसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यूएसजीएस ने बताया कि भूकंप का केन्द्र जमीन से 19.3 किलोमीटर की गहराई में था।

कामचटका के गवर्नर व्लादिमीर सोलोदोव ने वीडियो पोस्ट कर कहा कि आज का भूकंप दशकों में सबसे शक्तिशाली था। उन्होंने कहा कि एक

■ भूकंप के कारण 5 मीटर तक ऊंची सुनामी आई, जापान ने रिएक्टर खाली कराया।

किंडरगार्टन स्कूल को नुकसान पहुंचा है।

जापान के एनएचके टेलीविजन के मुताबिक, देश के पूर्वी तट के पास एक फुट ऊंची पहली सुनामी लहरें पहुंची हैं। जापान ने राजधानी टोक्यो में 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा है। इसके अलावा, अपने फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर को खाली करा लिया है।

रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि कामचटका प्रायद्वीप में आए भूकंप से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मजबूत इमारतों और अलर्ट सिस्टम की वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने के कगार पर है- अमित शाह

गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार को आतंकवाद, उग्रवाद व नक्सलवाद कांग्रेस से विरासत में मिले

नयी दिल्ली, 30 जुलाई। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में आतंकवाद की समस्या के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए जोर देकर कहा है कि उसकी प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं वोट बैंक की राजनीति है लेकिन नरेन्द्र मोदी सरकार का संकल्प है कि कोई कुछ भी कर ले कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होकर रहेगा।

शाह ने बुधवार को राज्यसभा में "पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के मजबूत, सफल एवं निर्णायक आपरेशन सिंदूर" पर 16 घंटे चली चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि आतंकवाद पर मोदी सरकार से सवाल पूछने वाली कांग्रेस के शासन में ही उसकी तुष्टिकरण की नीति के कारण अलगाववाद और आतंकवाद बढा। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के जन्म के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यदि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू समझ जाते तो पाकिस्तान बनता ही नहीं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने जैसे ही जवाब देना शुरू किया कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इसका विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से चर्चा का जवाब देने की मांग कर रहे थे। मोदी उस समय सदन में मौजूद नहीं थे।

शाह ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने के कगार पर है। जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों और ढांचागत परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र स्थापित हो रहा है और वहां पिछले छह

■ केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा राज्यसभा में चर्चा का जवाब शुरु करते ही विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से चर्चा का जवाब मांग रहे थे।

महीने में एक भी स्थानीय युवक की आतंकवादी संगठनों में भर्ती नहीं हुई है।

शाह ने कहा कि मोदी सरकार को कांग्रेस की सरकार से आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद विरासत में मिले थे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर बात करने वाली कांग्रेस को इस आंकड़े पर नजर डालनी चाहिए कि उसके राज में 54 आतंकवादी हमलों में 600 से अधिक लोग मारे गये।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत ने आत्मरक्षा के सिद्धांत के तहत ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के भारत के अधिकार का सभी देशों ने समर्थन किया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता चिदम्बरम ने उनके इस्तीफे की मांग के साथ प्रश्न उठाया कि पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तानी थे इसका सबूत क्या है। उन्होंने सवाल किया कि चिदम्बरम किस को बचाना चाहते थे, पाकिस्तान को या आतंकवादियों को। उन्होंने कहा कि यह भी संयोग है कि उन्होंने जिस दिन सवाल पूछा उसी दिन तीनों आतंकवादी ढेर हो गये।

शाह ने कहा कि छह मई की रात आतंकवादियों के नौ ठिकानों को निशाना बनाकर 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया। यह कार्रवाई आत्मरक्षा के सिद्धांत के तहत की गयी। विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए शाह ने कहा कि किसी के कहने पर सैन्य कार्रवाई नहीं रोकी गयी यह पाकिस्तान के अनुरोध पर रोकी गयी।

शाह ने कहा कि यह पहला मौका है जब सेनाओं ने पाकिस्तान की सरजमीं पर हमला कर अपना शौर्य दिखाया है इससे पहले उसकी कार्रवाई पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक ही सीमित रहती थी।

हाई कोर्ट ने जयपुर की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का सर्वे कर दो सप्ताह में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की जाए। जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की एकलपीठ ने ये आदेश प्रकरण में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स पर कार्रवाई करते हुए दिए।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को कहा है कि वे चार सप्ताह में इस सडक़ों की मरम्मत का समयबद्ध प्लान पेश करें। अदालत ने अधिकारियों से पूछा है कि शहर की सडक़ों की वर्तमान हालात और उन्हें सुधारने की स्थिति क्या है। इसके साथ ही अदालत ने जलभराव और उफनते सीवर की समस्या के लिए उठाए गए कदमों व रोड निर्माण में अमानक सामग्री व तकनीक अपनाने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों व बिना जांच इनके बिल पास करने वाले लोगों के नाम भी बताने को कहा है। अदालत ने मामले में सहयोग के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर, अधिवक्ता तनवीर अहमद, संदीप पाठक और मधुसुधन सिंह राजपुरोहित को भी नियुक्त किया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मानसून में शहर की सड़कों के हालात बदतर हो रहे हैं, जिससे उसकी विश्वव्यापी इमेज पर भी नकारात्मक प्रभाव पड रहा है।

हर मानसून में यहां जलभराव, बाढ़ और जल निकासी की समस्या होती है। जल निकासी की समस्या से रोजमर्रा के जीवन तथा पर्यावरण के साथ-साथ, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी समस्या निदान करने में असफल रहे हैं। अदालत ने कहा कि करदाताओं के पैसे का उपयोग कर रोड निर्माण किया जाता है, लेकिन कम गुणवत्ता की सामग्री उपयोग करने से यह अगले दिन ही क्षतिग्रस्त हो जाती है। वहीं, निर्माता की ओर से क्वालिटी चेक और तय अवधि तक जिम्मेदारी तय किए बिना ही रोड को सौंप दिया जाता है। इसके बावजूद, आज तक शायद ही किसी रोड ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया गया हो, बल्कि उन्हें ही वापस ठेके दिए जाते हैं। अदालत ने कहा कि शहर की सड़कों के हालात से लोगों के जीवन का मूलभूत अधिकार भी प्रभावित हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का दुरुपयोग कर ग्रुप डी की नौकरियों के बदले अपने परिजनों के नाम पर ज़मीन लिखवाई।

सीबीआई का आरोप है कि ये नियुक्तियाँ बिना किसी विज्ञापन या सार्वजनिक चयन प्रक्रिया के की गई थीं और इसमें पश्चिम मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका थी, जिन्हें रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद के सीधे निर्देश मिले थे। ये नियुक्तियाँ भारतीय रेल की मानक भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ पाई गईं। जांच के बाद, सीबीआई ने 7 जून को चार्जशीट दाखिल की, जिसमें लालू प्रसाद, उनके परिजनों और 77 अन्य, जिनमें 38 नौकरी पाने वाले उम्मीदवार भी शामिल हैं, को आरोपी बनाया गया था।

'नागरिकता सबूत पेश करने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पत्र में यह भी कहा गया कि "ऐसा लगता है, मानो मतदाता सूची को सुधारने के नाम पर चुनाव प्रक्रिया को समाप्त करने के लिये एसआईआर पर्याप्त नहीं थी, तभी तो इस विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पैशल इन्टैन्सिव रिविज़न) को इतनी तेज़ी से लागू करना, बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) को असंभव समय सीमा देना और डेटा डिजिटाइज करने के लिए अपर्याप्त संसाधन देना, चुनाव आयोग द्वारा तय की गई प्रक्रिया का उपहास बन कर रह गया है।"

राज्य उपभोक्ता ....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आदेश की पालना में पुलिस ने यूपी निवासी आरोपी सक्सैना को गिरफ्तार कर आयोग में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामले से जुड़े अधिवक्ता लोकेश शर्मा ने बताया कि आरोपी संजय सक्सैना सहित, अन्य के खिलाफ आयोग के अध्यक्ष जस्टिस देवेन्द्र कच्छवाहा ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया था।

वहीं, वारंट की पालना पुलिस आयुक्तालय को करने के लिए कहा था। इस आदेश की पालना में ही पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की।

परिवादियों ने सहारा प्राइम सिटी, यानी सहारा सिटी होम्स में 2004 में आवासीय इकाइयां खरीदी थी, लेकिन प्रोजेक्ट तय समय में पूरा नहीं हुआ और उसका कब्जा तय समय, 2012 तक नहीं दिया गया।

मामला आयोग में आने पर परिवादियों के पक्ष में फैसला हुआ। इसके बावजूद, विपक्षी ने आदेश की पालना नहीं की। इस पर परिवादियों ने आयोग में अवमानना याचिका दायर कर आदेश की पालना करवाने का आग्रह किया था।

धनखड़ के इस्तीफे का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अपॉइंटमेंट्स को रोका जा रहा है। उसी दिन शाम 4:30 बजे हुई दूसरी बैठक में नड्डा और रिजिजू गैरहाज़िर रहे। उसी के बाद अचानक इस्तीफे की खबर आई।

धनखड़ के आवास पर रखे गए विज़िटर्स रजिस्टर में यह दर्ज है कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की अक्सर मेज़बानी की। जब चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को आगाह किया, तब नड्डा से कहा गया कि वे धनखड़ को सावधान करें। उन्हें यह भी बता दिया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में महाभियोग के ज़रिए नहीं होगी। इस बीच, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के निवास पर एक बैठक हुई, जिसमें लोकसभा में महाभियोग के लिए 145 सांसदों के हस्ताक्षर जुटाने का प्रयास हुआ। धनखड़ उस समय तक 50 सांसदों के न्यूनतम हस्ताक्षर भी नहीं जुटा पाए थे, जो राज्यसभा में प्रस्ताव लाने के लिए ज़रूरी थे। इसलिए घोषणा की गई कि महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा गया है, और वे ही आवश्यक प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। यह भी बताया गया कि राज्यसभा में अब तक कोई प्रस्ताव दाखिल नहीं हुआ है, इसलिए लोकसभा के 145 सांसदों का प्रस्ताव ही मान्य होगा। हालांकि, लोकसभा में न्यूनतम 100 हस्ताक्षर पर्याप्त होते हैं। इस घटनाक्रम के साथ ही, धनखड़ की वह योजना विफल हो गई, जिसमें वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद् की नियुक्ति अपनी पसंद से करना चाहते थे। अब यह अधिकार स्वमेव लोकसभा अध्यक्ष को चला गया है। सरकार नहीं चाहती थी कि विपक्ष राज्यसभा में विपक्षी सांसदों द्वारा लाया गया महाभियोग प्रस्ताव पारित हो, क्योंकि वह यह दिखाना चाहती थी कि भ्रष्टाचार को लेकर वह खुद सख्त है और वो ही यह प्रस्ताव लाई है।

विपक्ष का मानना है, दो दिन की बहस के बाद भी ऑपरेशन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और वर्तमान स्थिति पर भी सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी या फिर उसके पास कोई जानकारी नहीं थी। इससे सरकार की तैयारी और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई प्रमुख सवालों के जवाब देने में असफल रही, जैसे आतंकवादी पहलगाम में घुसे कैसे और हमले के बाद कहाँ चले गए? क्या वे मारे गए, या अब भी फरार हैं?

विपक्ष ने सरकार द्वारा तीन आतंकियों के मारे जाने के दावे पर भी सवाल उठाया। विपक्ष ने पूछा कि भारत ने कितने लड़ाकू विमान इस संघर्ष में खोए? ट्रम्प की कथित मध्यस्थता के बाद हमला रोकने से भारत को क्या रणनीतिक लाभ मिला? इसके अलावा, विपक्ष ने इस संकट के दौरान चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नज़दीकी पर भी स्पष्टता की मांग की। इसके बावजूद, सरकार ने इस महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक पहलू को नज़रअंदाज़ किया, जबकि चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य और कूटनीतिक समन्वय के कई संकेत मौजूद थे।

कुल मिलाकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार की भूमिका ने जवाबों से ज़्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार की आक्रामक बयानबाज़ी, रणनीतिक स्पष्टता और कूटनीतिक स्थिरता से मेल नहीं खा रही। सबसे चिंताजनक बात यह है कि जनता को सुरक्षा से जुड़ी समुचित जानकारी नहीं दी गई। यह एक ऐसी चूक है, जो न केवल जनता के भरोसे को कमजोर करती है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करती है।

रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया, लगातार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के भरोसे पर टिका हुआ नहीं होता है। यह अपना आंतरिक मूल्य रखता है और दुनिया में कहीं भी आसानी से इसे नकदी में बदला जा सकता है। भारत ही नहीं, दुनिया भर के केन्द्रीय बैंक अब सोने की ओर रुख कर रहे हैं। मगर आरबीआई की आक्रामक रणनीति इस बात का संकेत है कि भारत आने वाले खतरों को गंभीरता से ले रहा है: जैसे कि अस्थिर अमेरिकी डॉलर, व्यापार युद्ध, बढ़ती महंगाई, और भू-राजनीतिक तनाव।

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की फिर से टैरिफ लगाने की धमकी हालिया वैश्विक चिंता की एक वजह बनी है। उनके बयानों ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था और डॉलर की प्रधानता को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है। ऐसे माहौल में सोना एक सुरक्षा कवच के साथ-साथ, स्वायत्तता व आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी बन जाता है। यह कदम वैश्विक रुझानों से भी मेल खाता है। ब्रिक्स देश, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, लंबे समय से डॉलर के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में सोना, जो कि एक सार्वभौमिक मूल्य का भंडार रहा है, उनकी योजना में स्वाभाविक रूप से फिट बैठता है। भारत के लिए यह केवल बैलैंस शीट में विविधता लाने का कदम नहीं, बल्कि एक तरह की "रिज़र्व डैमोक्रैसी" भी हो सकती है। इसके घरेलू कारण भी हैं। भारतीय रुपया भले ही तुलनात्मक रूप से स्थिर हो, फिर भी वह तेल कीमतों में उछाल या अचानक पूंजी निकासी जैसे बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील है। ऐसे में अधिक सोना रखकर आरबीआई अपने लिए सुरक्षा आधार तैयार करता है, एक ऐसी संपत्ति, जो ब्याज दरों, प्रतिबंधों या मुद्रा गिरावट से प्रभावित नहीं होती।

आलोचक यह कह सकते हैं कि सोना ब्याज अर्जित नहीं करता, जबकि सरकारी बॉन्ड ब्याज देते हैं। मगर जब दुनिया आर्थिक संकट में हो, तो स्थिरता, मुनाफे से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आरबीआई के कदम यह दिखाते हैं कि वह तत्काल लाभ से ज्यादा दीर्घकालिक स्थायित्व पर ध्यान दे रहा है। असल में, यह सोना-खरीद अभियान केवल सतर्कता नहीं है, बल्कि यह डॉलर-प्रधान वित्तीय व्यवस्था में एक मौन अविश्वास का संकेत भी है। यह इशारा करता है कि भारत, बाकी देशों की तरह, एक कठिन आर्थिक रास्ते के लिए खुद को तैयार कर रहा है। भले ही वैश्विक आर्थिक संकट अभी निकट हो या नहीं, आरबीआई इंतज़ार नहीं कर रहा। वह भारत के भंडार को उस संपत्ति से मजबूत कर रहा है, जिसने हर दौर के संकट को सहा है, वह है सोना।

'जमानती अपराध ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

केस की सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगने की संभावना है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा किया जाए। दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ताओं पर अपराध प्रमाणित है।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908